

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (लाइसेन्स देना) नियमावली, 1976

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1— (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन लाइसेन्स देना, नियमावली, 1976 कहलायेगी।</p> <p>(2) यह नियमावली गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।</p> <p>2— जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में—</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) “कलेण्डर वर्ष” का तात्पर्य पहली जनवरी से इक्तीस दिसम्बर तक की बारह मास की अवधि में है, (ii) “प्रपत्र” का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है, (iii) “अध्यादेश” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियम अध्यादेश, 1976 से है, (iv) “अनुसूची” का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूची से है, (v) “धारा” का तात्पर्य अध्यादेश की धारा से है, (vi) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु यहां पर अपरिभाषित शब्द तथा पदावली के वही अर्थ होंगे जो उनके लिये अध्यादेश में दिए गए हैं। <p>3— धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन दिये गये या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन नवीकृत लाइसेन्स निम्नलिखित शर्तों और निबन्धनों के अधीन होगा:—</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरण सही, पूर्ण तथा लाइसेन्स अधिकारी के पूर्ण सन्तोषानुसार है। | <p>संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ</p> <p>परिभाषायें</p> <p>लाइसेन्स
की शर्तें
और
निबन्धन</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
- (2) कोल्ड स्टोरेज नियम 6 के अधीन विहित विनियमों के अनुरूप है और रहेगा।
- (3) किरायादाताओं को स्टोर किए गए या स्टोर किये जाने वाले कृषि उत्पाद का निरीक्षण करने, तुलवाने, मापने, नमूना लेने और श्रेणीकरण करने की सुविधा दी जायगी।
- (4) लाइसेन्स सदैव कोल्ड स्टोरेज के भू—गृहादि में रखा जायेगा और निरीक्षण तथा जांच के लिये लाइसेन्स अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत किया जायेगा।
- (5) उत्पादन शुल्क लगाने योग्य किसी कृषि उत्पाद का लेन देने करने वाले कोल्ड स्टोरेज की दशा में लाइसेन्सधारी केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के समय—समय पर प्रवृत्त उत्पादन शुल्क विधियों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का अनुपालन करेगा।
- (6) भू—गृहादि, जिनमें कोल्ड स्टोरेज अधिष्ठित हो, स्वच्छ होंगे। कोल्ड स्टोरेज के भीतर प्रत्येक 4645 वर्ग सेन्टीमीटर (5 वर्ग फुट) स्थान के निमित्त एक वाट की दर से विद्युत प्रकाश की व्यवस्था की जायेगी।
- (7) समस्त प्रांगण, बहिगृह, स्टोर तथा भू—गृहादि के आगम द्वारा, जहां कोल्ड स्टोरेज अधिष्ठित हो, स्वच्छ और शुद्ध रखे जायेंगे। कोल्ड स्टोरेज और भू—गृहादि में, जिसमें वह स्थित हो, निस्संक्रमण और दुर्गन्ध दूरी—कारण की संक्रिया या उपचार उतनी बार किया जायगा जितनी बार आवश्यक हो और कम से कम एक कलेण्डर वर्ष में एक बार किया जायेगा।
- (8) लाइसेन्सधारी कोई ऐसा उत्पाद कोल्ड स्टोरेज में स्टोर नहीं करेगा जो कृषि उत्पादों से विपरीत अथवा गन्ध विरोधी हो। विपरीत गन्ध वाले उत्पाद, कोल्ड स्टोरेज के पृथक कक्षों में स्टोर किये जायेंगे।
- (9) किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति को कोल्ड स्टोरेज में काम करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। कोल्ड स्टोरेज में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले मजदूरों से भिन्न कर्मचारियों के इस परीक्षण का प्रबन्ध कि वे किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग अथवा अन्य रोग से ग्रस्त तो नहीं है एक कलेण्डर वर्ष में एक बार किया जायेगा।
- (10) कोल्ड स्टोरेज के भीतर काम करने वाले कर्मचारियों के लिये ऐसे वस्त्रों की व्यवस्था की जायेगी, जो उन्हें सर्दी से बचाये। हिमांक बिन्दु से निम्नतर दशा में काम करने वाले कर्मचारियों के निमित्त जूतों (बूट) की व्यवस्था की जायेगी।
- (11) वायु के वितरण तथा परिसंचरण और वस्तुतः लादने और उतारने के निमित्त

निम्नलिखित आदेशों का अनुसरण किया जायेगा—

- (i) रैकों की पंक्तियों के बीज 00.75 मीटर से कम स्थान न होगा।
 - (ii) रैक दीवालों/फर्शों से कम से कम 20 सेन्टीमीटर की दूरी पर रखे जायेंगे।
 - (iii) प्रत्येक रैक के उच्चतम शेल्फ में छत तथा लदान के मध्य कम से कम 30 सेन्टीमीटर की खाली जगह रखी जारी चाहिए।
 - (iv) रैक के प्रत्येक शेल्फ पर लादने तथा अनुगामी शैल्फ के मध्य कम से कम 7.5 सेन्टीमीटर खाली जगह रखी जानी चाहिये:
- प्रतिबन्ध यह है कि जब बोरे में स्टोर किया जाय तब उपनियम (i),(ii), (iii) के अधीन शर्तों का पालन करते समय निम्नलिखित निदेश का भी अनुसरण किया जायगा:—
- (क) एक स्टेक में एक दूसरे से ऊपर 6 से अधिक बोरों नहीं रखे जायेंगे।
 - (ख) प्रत्येक बोरों की कतार में 10 सेन्टीमीटर की जगह छोड़ी जायेगी।
 - (ग) स्टोर करने की अवधि, के दौरान बोरों को दो बार ऊपर नीचे किया जायगा और उन्हें इस प्रकार रखा जायगा कि स्टेक में जो बोरा सबसे नीचे है वह सब से ऊपर रखा जाय और कृषि उत्पादक स्टोर करने के 45 दिन के भीतर पहली बार और स्टोर करने के नब्बे दिन के भीतर बोरों को ऊपर नीचे किया जायगा।
- (12) कोल्ड स्टोरेज में ऐसे थरमामीटर लगे होंगे जिनमें ड्राईबल्ब तथा वेट बल्ब ताप के पाठन किए जा सके।
- (13) प्रत्येक लाइसेन्सधारी प्रपत्र 1 में 'लाग बुक' रखेगा और उसमें तापमान तथा सापेक्ष आद्रता तथा कम्प्रेशन का भार-वाचन कोल्ड स्टोरेज के कार्यकरण के दौरान प्रत्येक चार घंटों पर अहर्निश पर्यन्त करेगा जब तक कि स्वचालित अभिलेखी यंत्र अधिष्ठित न कर दिये गये हों। लाइसेन्स अधिकारी अथवा उसके द्वारा इस निमित्त यथोचित रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति प्रत्येक निरीक्षण के मौके पर वयक्तिशः अभिलेखों का सत्यापन करने के उपरान्त 'लाग बुक' पर हस्ताक्षर करेगा।
- (14) लगातार 24 घंटे से अधिक समय तक कोल्ड स्टोरेज के कार्य न करने की सूचना लाइसेन्सधारी द्वारा लाइसेन्स अधिकारी को तुरन्त दी जायेगी। इस प्रकार कार्य बन्द होने का कारण 'लाग बुक' में लिखा जायगा और उसकी सूचना लाइसेन्स अधिकारी को दी जायगी।
- (15) प्रत्येक लाइसेन्सधारी किसी कार्य दिवस को सामान्य कार्य समय में कोल्ड स्टोरेज में प्रवेश करने, निरीक्षण करने या परीक्षण करने या उसकी मशीन और उपकरण लेखा का वहां पर स्टोर किये गए कृषि उत्पाद, उसके कार्यालय, बहियों, अभिलेखों पत्रादि और परीक्षण या निरीक्षण करने के लिए सदैव ऐसी सुविधायें देगा जैसी लाइसेन्स अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और ऐसी अपेक्षा की जाने पर ऐसे अभिलेख या प्रस्तुत करेगा जो सूचना लाइसेन्स अधिकारी द्वारा अध्यादेश के किसी प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो।
- (16) यदि कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया गया माल, ऐसे कारण से जो लाइसेन्सधारी के नियंत्रण से परे हों, खराब होने लगे तो लाइसेन्सधारी इसकी सूचना लाइसेन्स अधिकारी को तुरन्त देगा।
- (17) किसी शेल्फ या फर्म को, जहां क्षतिग्रस्त या खराब हुआ, कृषि उत्पाद स्टोर किया गया हो या अस्थायी रूप से रखा गया हो, ऐसा उत्पाद हटाने या निस्तारित करने के पश्चात तुरन्त स्वच्छ और निस्संक्रमित किया जायगा।
- (18) जहां लाइसेन्सधारी अपने कोल्ड स्टोरेज में अपने नाम से कोई कृषि उत्पाद स्टोर करना चाहे, वहां वह ऐसा करने के लिये अनुज्ञा के निमित्त लाइसेन्स अधिकारी को लिखित आवेदन पत्र देगा, जिसमें उसके द्वारा स्टोर किये गये जाने वाले कृषि उत्पाद का परिमाण, प्रकार और अवधि जब तक के लिये इस प्रकार स्टोर करने का विचार हो, उल्लिखित की जायगी और अपने द्वारा विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद को स्टोर करना वस्तुतः प्रारम्भ करने के पूर्व लाइसेन्स अधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त कर लेगा।
- (19) लाइसेन्सधारी इसके सम्बन्ध में की गयी किसी अन्य सेवा के लिये, धारा 27 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निश्चित किये गये प्रभारी को छोड़कर कोई अन्य प्रभार जैसे बीमा प्रभार, कृषि उत्पाद को तौलने में कोल्ड स्टोरेज की प्रसीमा से, जहां उत्पाद कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करने के लिये किरायादाता द्वारा उतारा जाय, कृषि उत्पाद ले जाने, बोरों के ऊपर-नीचे करने और वापस करने के प्रयोजनार्थ उत्पाद

को कोल्ड स्टोरेज से प्रसीमा तक ले जाने के प्रयोजनार्थ श्रम संबंधी प्रभार तथा सुखाने, श्रेणीकरण करने छांटने और दुबारा बोरों में भरने आदि के लिये स्थान और उपस्कर की व्यवस्था करने के लिये जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञा न दी जाय, नहीं लेगा।

4— (1) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन लाइसेन्स दिये जाने के लिए आवेदन—पत्र प्रपत्र संख्या 1 में, दो प्रतियों में दिया जायगा जिस पर आवेदक के सम्यक रूप से हस्ताक्षर होंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि आवेदक अध्यादेश और इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेन्स दिये जाने के लिये ऐसी अतिरिक्त सूचना, जैसी लाइसेन्स अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाय, देने के लिये बाध्य होगा।

(2) जहां एक ही आवेदक एक से अधिक कोल्ड स्टोरेज के सम्बन्ध में लाइसेन्स प्राप्त करना चाहे, वहां वह प्रत्येक कोल्ड स्टोरेज के लिए पृथक—पृथक आवेदन—पत्र प्रस्तुत करेगा।

(3) उपनियम (1) (2) में निर्दिष्ट आवेदन—पत्रों के साथ मूल चालान होगा जिसमें नियम '5' के उपनियम (3) में उल्लिखित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत कोषागार में उक्त नियम के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट लाइसेन्स फीस जमा की गयी उल्लिखित होगी।

5— (1) राज्य सरकार के स्वामित्व या प्रबन्ध में कोल्ड स्टोरेज के सम्बन्ध में कोई लाइसेन्स फीस नहीं ली जायगी।

(2) उपनियम (1) के अन्तर्गत आने वाले कोल्ड स्टोरेज से भिन्न कोल्ड स्टोरेज के सम्बन्ध में लाइसेन्स दिये जाने के लिए एक कलेण्डर वर्ष या उसके भाग के लिये लाइसेन्स फीस निम्नलिखित होगी:-

कोल्ड स्टोरेज की स्टोर करने की क्षमता	लाइसेन्स फीस	
1	2	3
1—282 घन मीटर तक	55	75
2—282 घन मीटर से अधिक और 7000 घन मीटर तक	225	300
3—7000 घन मीटर से अधिक और 15000 घन मीटर तक	375	500
4— 15000 घन मीटर से अधिक	560	750

(3) फीस चालान द्वारा लेखा शीर्षक "105—कृषि—कृषि संबंध प्राप्तियां—अन्य प्राप्तियां—शीतगृह लाइसेन्स फीस" के अन्तर्गत कोषागार में जमा की जायगी।

कोल्ड स्टोरेज 6— लाइसेन्स दिये जाने के लिये कोल्ड स्टोरेज निम्नलिखित विनिर्देयों के अनुरूप के लिए होगा:-

- विनिर्देय** (i) कोल्ड स्टोरेज इस प्रकार निर्मित और अनुरक्षित किया जायगा कि वह आद्रता धारा-6(2)(क) निरोधक, उष्मा निरोधक हो और उसमें पक्षियों, कीटों क्षतिकारक कीड़े—मकोड़ों, चूहों कृत्तक प्राणियों और ऐसे अन्य कीड़े—मकोड़ों तथा पशुओं के प्रवेश को रोका जा सके या स्टोर किए गये कृषि उत्पाद को क्षति पहुंचाने के विरुद्ध संरक्षित हो।
- (ii) किसी कृषि उत्पाद को इस प्रकार स्टोर किया जायगा जिससे कि उसे आद्रता, नमी, उष्मा, झंझावात से या फर्श, पार्श्व दीवाल, दरवाजों और खिड़कियों आदि से, पानी से बचाया जा सके।
- (iii) कोल्ड स्टोरेज के फर्श, छत, दीवारों दरवाजों और खिड़कियों या किसी छिद्र (ओपनिंग) या उष्मारोधन (1) कार्क स्लेब, (2) ग्लास ऊल, (3) राक ऊल (4) एक्सपेन्डेड पोलिस्टोरीन, (5) थरमोपोकोल, (6) थरमो फुआम, (7) थरमोएलायट, (8) थरमोपोपेक या ऐसी अन्य वस्तु से किया जायगा जिसे लाइसेन्स अधिकारी

लाइसेन्स के लिए आवेदन—पत्र धारा 6 (1)

लाइसेन्स फीस धारा 6 (1)

अनुमादित करे। कोल्ड स्टोरेज के तापमान के अनुसार, जिसे लाइसेन्स अधिकारी के अनोमुदनाधीन रहते हुए हिमांक बिन्दु से कम नीचे या अधिक रखा जायगा उष्मारोधन और जलरोधन कार्यवाही उचित रीति से की जानी चाहिये।

(iv) जोड़ो से तापमान निकलने की सभी संभावनाओं को दूर करने के लिये घुमावदार जोड़ों को तिरछी करके उष्मारोधन सामग्री दो परतों में लगायी जानी चाहिये।

(v) कोल्ड स्टोरेज के दरवाजों में उष्मारोधन की पर्याप्त व्यवस्था होगी और युक्तियुक्त रूप से वायुरोधी होनी चाहिये। दरवाजों की डिजाइन ऐसी होगी जिससे कि कोई व्यक्ति उसे बाहर भीतर दोनों तरफ से खोल सके।

(vi) जहां कही रैक की व्यवस्था की जाय वहां उन्हें इस प्रकार निर्मित किया जायगा कि कोल्ड स्टोरेज में कार्य करने वाले कर्मचारियों के जीवन को खतरे में डाले बिना लादने या उतारने का कार्य किया जा सके।

(vii) डिफ्यूजर या डाइरेक्ट एक्सपेंशन पाइप, जिनसे होकर हिमकारक दव्य (रेफरीजरेन्ट) जाता हो, कोल्ड स्टोरेज में इस प्रकार लगाये जायेंगे कि सेन्टीग्रेड की अनुज्ञेय उच्चतम विभिन्नता सहित उपयुक्त तापमान और 5 प्रतिशत की अनुज्ञेय भिन्नता से सापेक्ष आर्दता का प्रतिशत कोल्ड स्टोरेज के प्रत्येक ऐसे स्थान में बना रहे, जहां पर कृषि उत्पाद स्टोर किये गये हों।

(viii) प्रत्येक कोल्ड स्टोरेज में ऐसे कृषि उत्पाद को जो खराब हो रहे हों या जिसमें खराब होने के लक्षण हों, पृथक करने तथा अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिये उपयुक्त और सुविधाजनक स्थान होगा। जिससे कि ऐसा कृषि उत्पाद, जब तक कि उसका निस्तारण न कर दिया जाय, कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये अन्य कृषि उत्पाद के सम्पर्क में न आये या किसी प्रकार से उसे प्रभावित न करें।

(ix) कोल्ड स्टोरेज के भू-गृहादि में अग्निशामक और निस्संक्रमण उपस्कर तथा सामग्री सदैव प्रयोज्य दशा में रखी जायगी तथा ऐसी उपस्कर और सामग्रियों को संभालने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी भी रखे जायेंगे।

(x) कोल्ड स्टोरेज के भू-गृहादि में कर्मचारियों, किरायादाताओं या उनके अभिकर्ताओं के लिए तथा लहू और गाढ़ी वाले पशुओं के लिए भी पेयजल की व्यवस्था होगी।

(xi) कोल्ड स्टोरेज तक पहुंच मार्ग इस प्रकार बनाया जायगा जिससे कि कृषि उत्पाद के लाने-ले-जाने की व्यवस्था हो सके।

(xii) कोल्ड स्टोरेज में पूर्वशीतन कक्ष की व्यवस्था होगी जहां कोल्ड स्टोरेज में अन्तिम लदान के पूर्व, कृषि उत्पाद कम से कम 24 घण्टे तक स्टोर किया जायगा।

लाइसेन्स का प्रपत्र धारा

6(1)

लाइसेन्स की

अवधि धारा 7

आगामी 31 दिसम्बर को समाप्त होगा।

9— धारा 7 में निर्धारित शर्तों या धारा 42 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों के यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन दिया गया लाइसेन्स इस नियमावली के नियम 10 के अधीन लाइसेन्सधारी के आवेदन पत्र पर और नियम 11 के अधीन विहित फीस देने पर, समय-समय पर, एक कलेण्डर वर्ष के लिये नवीकृत किया जायगा।

10— लाइसेन्स के नवीनीकरण के लिये आवेदन-पत्र, प्रपत्र संख्या 4 में होगा और उसके साथ मूल कोषागार चालान होगा जिसमें इस नियमावली के नियम के नियम 11 के अनुसार जमा की गयी फीस उल्लिखित होगी।

11—(1) एक कलेण्डर वर्ष के लिये लाइसेन्स के नवीकरण के नियम लाइसेन्स फीस निम्नलिखित होगी:-

लाइसेन्स का नवीनीकरण धारा 7

लाइसेन्स के नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र का प्रपत्र धारा 7 नवीकरण फीस धारा 7

लाइसेन्स फीस		
कोल्ड स्टोरेज की स्टोर करने की क्षमता	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी समितियों के	अन्य कोल्ड स्टोरेज

		स्वायित्व और प्रबन्ध में कोल्ड स्टोरेज	
1	2	3	
	रूपया	रूपया	
(प), 282 घन मीटर तक	30	40	
(पप), 282 घन मीटर से अधिक और 7,000 घनमीटर तक	130	175	
(पपप), 7,000 घन मीटर से अधिक और 15,000 घनमीटर तक	225	300	
(पअ), 15,000 घन मीटर से अधिक	375	500	

(2) फीस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) में लेखा शीर्षक के अन्तर्गत चालान के माध्यम से कोषागार में जमा की जायगी।

12—(1) लाइसेन्स के नवीकरण के लिये आवेदन—पत्र उस वर्ष के जिसके लिये लाइसेन्स का नवीकरण किया जाना अपेक्षित हो, पिछले वर्ष की, अधिक से अधिक 31 अक्टूबर तक, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक बढ़ाया न जाय, लाइसेन्स अधिकारी के पास पहुंच जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि, जहां धारा 6 के अधीन लाइसेन्स 31 अक्टूबर को या उसके पश्चात दिया जाय, वहां अगले कलेण्डर वर्ष के लिये लाइसेन्स के नवीकरण के लिये आवेदन पत्र उस वर्ष के जिसके लिये लाइसेन्स का नवीकरण करना अपेक्षित है, पूर्ववर्ती वर्ष के अधिक से अधिक 31 दिसम्बर तक दिया जा सकता है।

(2) लाइसेन्स के नवीकरण के लिये विहित आवेदन पत्र के साथ धारा 6 के अधीन दिया गया लाइसेन्स भेजा जायगा।

13—(1) नियम 12 में विनिर्दिष्ट दिनांक के पश्चात किन्तु 31 दिसम्बर के पश्चात नहीं, लाइसेन्स के नवीकरण के लिये प्रस्तुत आवेदन पत्र पर भी, विहित नवीकरण फीस और ऐसी विलम्ब फीस जो उस लाइसेन्स के नवीकरण के लिये विहित फीस की राशि के आधे के बराबर हो, देने पर लाइसेन्स अधिकारी द्वारा विचार किया जायगा:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार उपनियम (1) के अधीन आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने के लिये अन्तिम दिनांक को बढ़ा सकती है।

(2) फीस और बिलम्ब फीस को इस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट लेखा शीर्षक के अन्तर्गत कोषागार चालान के माध्यम से कोषागार में जमा किया जायगा।

लाइसेन्स की द्वितीय प्रति प्राप्त करने की फीस और प्रक्रिया 14—(1) यदि कोई लाइसेन्स खो जाय, नष्ट हो जाय, फट जाय, विरुपति हो जाय या अन्य प्रकार से अपठनीय जो जाय तो लाइसेन्स की द्वितीय प्रति पच्चीस रुपये की फीस, जो इस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट लेखा शीर्षक के अन्तर्गत चालान के माध्यम से कोषागार में जमा की जायगी, देने पर जारी की जा सकती है।

(2) लाइसेन्स की द्वितीय प्रति जारी करने के लिये आवेदन पत्र प्रपत्र 5 में दिया जायगा और उसके साथ मूल चालान होगा जिसमें उपर्युक्त उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट जमा की गयी फीस उल्लिखित होगी।

(3) जब खोये हुए लाइसेन्स के बदले में लाइसेन्स की द्वितीय प्रति अपेक्षित हो तो आवेदक द्वारा प्रपत्र संख्या 6 में क्षतिपूर्ति बन्ध—पत्र निष्पादित किया जायगा।

(4) लाइसेन्सधारी द्वारा खोये हुये या नष्ट हुये लाइसेन्स की भी रिपोर्ट थाने में की जायगी और किए गए रिपोर्ट की एक प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जायेगी।

(5) आवेदक, लाइसेन्स की द्वितीय प्रति जारी करने के लिये लाइसेन्स अधिकारी को आवेदन—पत्र के साथ उस लाइसेन्स को, जो फट जाय, निरूपित हो जाय या अन्यथा अपठनीय हो जाय, अभ्यर्पित करेगा।

(6) जब कोई लाइसेन्स खो जाय या नष्ट हो जाय तब लाइसेन्सधारी तुरन्त इस तथ्य को, जिसमें लाइसेन्स की संख्या इंगित की जायगी, किसी महत्वपूर्ण स्थानीय समाचार—पत्र में या यदि कोई स्थानीय समाचार—पत्र न हो तो राज्य के भीतर महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में अधिसूचित करेगा और समाचार पत्र की कतरन को जिसमें उक्त तथ्य अधिसूचित किया जाय, लाइसेन्स की द्वितीय प्रति दिये जाने के

लाइसेन्स के नवीनीकरण के लिये आवेदन—पत्र का प्रपत्र धारा 7

नवीकरण के लिये आवेदन पत्र को विलम्ब फीस सहित प्रस्तुत करना धारा 7 और 43

आवेदन—पत्र के साथ संलग्न किया जायगा।

(7) आवेदन—पत्र प्राप्त होने के पश्चात लाइसेन्स अधिकारी, अपना समाधान करने के पश्चात यथार्थिति, उपनियम (1), (2), (3), (4) तथा (5) की शर्तें जहां तक वे विचाराधीन विशिष्ट मामले पर लागू होती हैं आवेदक द्वारा पूरी की गयी हैं, लाइसेन्स की द्वितीय प्रति जारी करेगा।

(8) इस प्रकार जारी की गयी लाइसेन्स की प्रत्येक द्वितीय प्रति में मूल लाइसेन्स की, जिसकी यह द्वितीय प्रति हो, संस्था और दिनांक उल्लिखित होगी और उस पर द्वितीय प्रति अंकित होगी।

प्रपत्र संख्या—1

(निमय 3 देखिए)

प्रशीतन संयंत्र (रेफ्रिजरेशन प्लान्ट) की लाग बुक का रखा जाना

अवधि	वोल्टेज मोटर का तेल एएमपी 123	वायु चापित (प्रेसर्ड)	लाइन का दबाव		जल	
			सेवशन का दबाव	कन्डेसिंग दबाव	पम्प संख्या	दबाव

तापमान कमरा संख्या डी/बी/डब लू वी हम	तापमान कमरा सं0 2 डी/बी/डब लू वी हम	तापमान कमरा संख्या 3 डी/बी/डब लू वी हम	तापमान कमरा सं0 4 डी/बी/डब लू वी हम	पूर्व शीतन तापमान डी/बी/डब लू वी हम	बाहर का दबाव डी/बी/डब लू वी हम	कम्प्रेस र संख्या	1 चा लू
						शुरू होना बन्द होना	यो ग

प्रबन्धक	आपरेटर जो ड्यूटी पर हो, के हस्ताक्षर 1..... 2.....	टेक्नीशियन	दिनांक	निर्देशन शुरू होना बन्द होना	198
----------	-------------------------------------------------------------	------------	--------	------------------------------------	-----

कम्पेसर संख्या 2 चालू		कम्पेसर संख्या 3 चालू			चालू पम्प (भीतरी)			चालू पम्प (बाहरी)				
शुरू होना	बन्द होना	योग	शुरू होना	बन्द होना	योग	पम्प संख्या	शुरू होना	बन्द होना	योग	शुरू होना	बन्द होना	योग

डिफिजिंग कक्ष				स्वच्छ			वायु कक्ष		विद्युतीय		
1	2	3	4	प्री0	1	2	3	4	उपभोग प्री0 शक्ति 440 वोल्ट	अभ्युक्ति	

(धारा 4 देखिए)

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अध्यादेश, 1976 के अधीन लाइसेन्स के लिए आवेदन—पत्र

1—(1) आवेदक का नाम, पिता का नाम और पता—

(2) स्वामी का (स्वामियों के) नाम, पिता का नाम और पता—

2— कोल्ड स्टोरेज का नाम और स्थिति, पत्र—व्यवहार का पता, थाना और जिला—

3— कोल्ड स्टोरेज का आकार—

(1) कक्षों की संख्या—

(2) एकशः कोल्ड स्टोरेज की कक्षों का आकार— (लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊँचाई (मीटर में)।

(3) समस्त कोल्ड स्टोरेज कक्षों का कुल स्थान (घनमीटर में)।

4—(1) भवन, संरचना का प्रकार

(2) जल—सम्परण का प्रबन्ध

(3) बिजली के सम्परण का प्रबन्ध

(4) स्टोर करने की रीति

(5) रेकों की संरचना/प्रबन्ध के ब्योरे

(6) प्रयुक्त प्रशीतन (रिफ्रीजरेन्ट) तथा सुरक्षा प्रबन्ध

(7) क्यापूर्वशीतन (प्री—कूलिंग) की जाती है तो क्या कोई पूर्व शीतन कक्ष (प्री—कूलिंग चम्बर) है?

(8) क्या आपरेटरों के लिये कोल्ड स्टोरेज के भू—गृहादि में अथवा सभी ही क्वार्टरों की व्यवस्था है

(9) प्रबन्धक, टेक्नीशियन, टेक्निकल सुपरवाइजर/आपरेटर इत्यादि की योग्यतायें तथा अनुभग।

5— प्रशीतक यंत्र (फ्रीजिंग प्लान्ट) की क्षमता

6— ब्योरे सहित मशीनरी की सूची।

7— अधिष्ठान मोटरों/प्राइम—मूवरों की कुल अश्वशक्ति (हार्स पावर)

8— सहायक यूनिट अथवा यूनिटों के, यदि कोई हों, ब्योरे

9— स्टोर करने के लिये स्वीकार किये जाने वाले कृषि उत्पाद (उत्पादों) के नाम

10—कोषागार का नाम और राशि जमा किए गए संलग्न कोषागार चालान की संख्या, दिनांक तथा राशि

11—अवधि, जिसके लिए लाइसेन्स अपेक्षित है।

12—स्टोर करने के उपशुल्क, किराया प्रभार की अनुसूची जिन्हें वसूल किया जाता है अथवा जिन्हें करायादाताओं से वसूल किये जाने का प्रस्ताव है।

13—मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि यहां पर दी गयी सूचना अथवा ब्योरे मेरी/हमारी सबोत्तम जानकारी तथा विश्वास में सत्य है।

14—मैं/हम उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अध्यादेश, 1976 इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का और उन निदेशों के अनुपालन करने का वचन देता हूँ देते हैं, जो लाइसेन्स अधिकारी द्वारा उक्त अध्यादेश या नियमों के अधीन समय—समय पर जारी किये जायें।

दिनांक—

अवेदक / (अवेदकों) के हस्ताक्षर

अवधेय—

इस आवेदन—पत्र पर निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षर किया जायगा:—

(1) स्वामी का स्वामियों में से एक के द्वारा जहां कोल्ड स्टोरेज को प्राइवेट व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा चलाने का प्रस्ताव हो,

या

(2) महा प्रबन्धक या प्रबन्धक द्वारा कोल्ड स्टोरेज को निगम/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा चलाने का प्रस्ताव हो,

या

(3) सचिव द्वारा जहां कोल्ड स्टोरेज को सहकारी समिति द्वारा चलाने का प्रस्ताव हो।

(नियम 7 देखिए)

(प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अध्यादेश, 1976 के अधीन लाइसेन्स)

लाइसेन्स संख्या-

सी०एस०ओ०

1— लाइसेन्सधारी का नाम और पता—

2— कोल्ड स्टोरेज की स्थिति

यह लाइसेन्स उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अध्यादेश, 1976 के उपबन्धों, और अध्यादेश के अधीन बनाये गए नियमों में निर्दिष्ट शर्तों और निबन्धनों के अधीन दिया जाता है और उसके अध्यधीन है।

स्थान

दिनांक— 198

विधि मान्यता की अवधि	भुगतान की गयी लाइसेन्स फीस	कोल्ड स्टोरेज की कुल क्षमता (घनमीटर में)	लाइसेन्स अधिकारी के हस्ताक्षर
----------------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------

शर्ते और निबन्धन

- (1) आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण सही, पूर्ण तथा लाइसेन्स अधिकारी के पूर्ण संतोषानुसार है।
- (2) कोल्ड स्टोरेज नियम 6 के अधीन विहित विनिर्देशों के अनुरूप है और रहेगा।
- (3) किरायादाताओं को, स्टोर किए गए या स्टोर किए जाने वाले कृषि उत्पाद का निरीक्षण करने, तुलवाने, मापने, नमूनों लेने और श्रेणीकरण करने की सुविधा दी जायेगी।
- (4) लाइसेन्स सदैव कोल्ड स्टोरेज के भू-गृहादि में रखा जायगा और निरीक्षण तथा जांच के लिए लाइसेन्स अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत किया जायेगा।
- (5) उत्पाद शुल्क लगाने योग्य किसी कृषि उत्पाद का लेन-देन करने वाले कोल्ड स्टोरेज की दशा में लाइसेन्सधारी केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के समय-समय पर प्रवृत्त उत्पादन शुल्क विधियों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का अनुपालन करेगा।
- (6) भू-गृहादि, जिसमें कोल्ड स्टोरेज अधिष्ठित हो, स्वच्छ होंगे। कोल्ड स्टोरेज के भीतर प्रत्येक 4645 वर्ग सेन्टीमीटर (5वर्ग फुट) स्थान के निमित्त एक वाट की दर से विद्युत प्रकाश की व्यवस्था की जायगी।
- (7) समस्त प्रांगण, वर्हिंगू, स्टोर तथा भू-गृहादि के आगम द्वारा, जहां कोल्ड स्टोरेज अधिष्ठित हों, स्वच्छ और शुद्ध रखे जायेंगे। कोल्ड स्टोरेज और भू-गृहादि में, जिसमें यह स्थित हो, निस्संक्रमण और दुर्गन्ध दूरीकरण की संक्रिया या उपचार उतनी बार किया जायगा जितनी बार आवश्यक हो और कम से कम एक कलेण्डर वर्ष में एक बार किया जायेगा।
- (8) लाइसेन्सधारी कोई ऐसा उत्पाद कोल्ड स्टोरेज में स्टोर नहीं करेगा जो कृषि उत्पादों से विपरीत अथवा गन्ध विरोधी हो। विपरीत गन्ध वाली उत्पाद, कोल्ड स्टोरेज के पृथक कक्षों में स्टोर किये जायेंगे।
- (9) किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति को कोल्ड स्टोरेज में काम करने की अनुमति नहीं दी जायगी। कोल्ड स्टोरेज में, दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले मजदूरों से भिन्न कर्मचारियों के इस परीक्षण का प्रबन्ध कि वे किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग अथवा अन्य रोग से ग्रस्त तो नहीं है, एक कलेण्डर वर्ष में एक बार किया जायेगा।
- (10) कोल्ड स्टोरेज के भीतर काम करने वाले कर्मचारियों के लिये ऐसे वस्त्रों की व्यवस्था की जायेगी जो उन्हें सर्दी से बचाये। हिमांक बिन्दु से निम्नतर दशा में काम करने वाले कर्मचारियों के निमित्त जूतों (बूट) की व्यवस्था की जायेगी।
- (11) वायु के वितरण तथा परिसंचरण और वस्तुतः लादने और उतारने के निमित्त निम्नलिखित अनुदेशों का अनुसरण किया जाये—
 - (i) रैकों की पंक्तियों के बीच 00.75 मीटर से कम स्थान न होगा।
 - (ii) रैक दीवालों / फर्शों से कम से कम 20 सेन्टीमीटर की दूरी पर दूर रखें जायेंगे।
 - (iii) प्रत्येक रैक के उच्चतम शेल्फ में छत तथा लदान के मध्य से कम से कम 30 सेन्टीमीटर की खाली जगह रखी जानी चाहिए।

(iv) रैक के प्रत्येक शेल्फ पर लादने तथा अनुगामी शेल्फ के मध्य कम से कम 7.5 सेन्टीमीटर खाली जगह रखी जानी चाहिए:

प्रतिबन्ध यह है कि जब बोरे में स्टोर किया जाए तब उप नियम (i), (ii) (iv) के अधीन शर्तों पालन करने समय निम्नलिखित नियम का अनुसरण किया जायेगा:—

(क) एक स्टाक में एक दूसरे के ऊपर 6 से अधिक बोरे नहीं रखे जायेंगे।

(ख) प्रत्येक बोरों की कतार में 10 सेन्टीमीटर की जगह छोड़ी जायगी।

(ग) स्टोर करने की अवधि के दौरान बोरों को दो बार ऊपर नीचे किया जायगा और उन्हें इस प्रकार रखा जायेगा कि स्टाक में जो बोरा सबसे नीचे है वह सबसे ऊपर रखा जाय और कृषि उत्पाद स्टोर करने के 45 दिन के भीतर पहली बार और स्टोर करने के 10 दिन के भीतर बोरों को ऊपर नीचे किया जायेगा।

(12) कोल्ड स्टोरेज में ऐसे थर्मामीटर लगे होंगे जिनमें ड्राई बल्ब तथा वेट बल्ब ताप के पाठन किये जा सके।

(13) प्रत्येक लाइसेन्सधारी प्रपत्र 1 में, 'लाग बुक' रखेगा और उसमें तापमान तथा सापेक्ष आर्डता तथा कम्प्रेशन का भार-वाचन कोल्ड स्टोरेज के कार्यकरण के दौरान प्रत्येक चार घण्टों पर अहर्निश पर्यन्त करेगा जब तक कि स्वचालित अभिलेखी यंत्र अधिष्ठित न कर दिया गए हों। लाइसेन्स अधिकारी अथवा उसके द्वारा इस निमित्त यथोचित रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति प्रत्येक निरीक्षण के मौके पर व्यक्तिशः अभिलेखों का सत्यापन करने के उपरान्त 'लाग बुक' पर हस्ताक्षर करेगा।

(14) लगातार 24 घण्टे से अधिक समय तक कोल्ड स्टोरेज के कार्य न करे की सूचना लाइसेन्सधारी द्वारा लाइसेन्स अधिकारी को तुरन्त दी जायगी। इस प्रकार कार्य बन्द होने का कारण "लाग बुक" में लिखा जायेगा और उसकी सूचना लाइसेन्स अधिकारी को दी जायेगी।

(15) प्रत्येक लाइसेन्सधारी किसी कार्य दिवस को सामान्य कार्य समय में कोल्ड स्टोरेज में प्रवेश करने, निरीक्षण करने या परीक्षण करने या उसकी मशीन और उपकरण, वहां पर स्टोर किए गए कृषि उत्पाद, उसके कार्यालय, वहियों अभिलेखों, पत्रादि और लेखों का परीक्षण या निरीक्षण करने के लिए सदैव ऐसी सुविधायें देगा जैसी लाइसेन्स अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और अपेक्षा की जाने पर ऐसे अभिलेख या सूचना प्रस्तुत करेगा जो लाइसेन्स अधिकारी द्वारा अध्यादेश को किसी प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो।

(16) यदि कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया गया माल, ऐसे कारण से जो लाइसेन्स के नियंत्रण, से परे हो, खराब होने लगे तो लाइसेन्सधारी इस सूचना लाइसेन्स अधिकारी को तुरन्त देगा।

(17) किसी शेल्फ या फर्श को जहां क्षतिग्रस्त या खराब हुआ कृषि उत्पाद स्टोर किया गया हो या अस्थायी रूप से रखा गया हो, ऐसा उत्पाद हटाने या निस्तारित करने के पश्चात तुरन्त स्वच्छ और निरसंक्रमित किया जायगा।

(18) जहां लाइसेन्सधारी अपने कोल्ड स्टोरेज में अपने नाम से कई कृषि उत्पाद स्टोर करना चाहें, वहां वह ऐसा करने के लिये अनुज्ञा के निमित्त लाइसेन्स अधिकार को लिखित आवेदन-पत्र देगा, जिसमें उसके द्वारा स्टोर किये जाने वाले कृषि उत्पाद का परिणाम, प्रकार और अवधि जब तक के लिये इस प्रकार स्टोर करने का विचार हो, उल्लिखित की जायगी, और अपने द्वारा विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद को स्टोर करना वस्तुतः प्रारम्भ करने के पूर्व लाइसेन्स अधिकारी को अनुज्ञा प्राप्त कर लेगा।

(19) लाइसेन्सधारी इसके सम्बन्ध में की गयी किसी अन्य सेवा के लिये धारा 27 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निश्चित किये गये प्रभारों को छोड़कर कोई अन्य प्रभार, जैसे बीमा प्रभार, कृषि उत्पाद की तौलने में, कोल्ड स्टोरेज की प्रसीमा से जहां उत्पाद कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करने के लिए किरायादाता द्वारा उतारा जाय, कृषि उत्पाद ले जाने, बोरों को ऊपर नीचे करने और वापस करने के प्रयोजनार्थ उत्पाद को कोल्ड स्टोरेज से प्रसीमा तक ले जाने के प्रयोजनार्थ श्रम सम्बन्धी प्रभार तथा पुराने श्रेणीकरण करने, छांटने और दुराबा बोरों में भरने आदि के लिये, स्थान और उपस्कर की व्यवस्था करने के लिए जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञा न दी जाय, नहीं लेगा।

प्रपत्र संख्या—4

(नियम 10 देखिए)

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अध्यादेश, 1976 की धारा 7 के अधीन लाइसेन्स के नवीकरण के लिये आवेदन—पत्र

- 1— स्वामी का (स्वामियों के) नाम, पिता का नाम और पता।
- 2— कोल्ड स्टोरेज का नाम और स्थिति और डाक का पता।
- 3— (1) लाइसेन्स की संख्या और दिनांक जिसका नवीकरण अपेक्षित है।
(2) वर्तमान साल की समाप्ति का दिनांक।
- 4— वर्तमान लाइसेन्स जारी या नवीकृत किये जाने के पश्चात कोल्ड स्टोरेज में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन / हेरफेर / विस्तार आदि का ब्योरा।
- 5— जमा की गयी फीस की राशि, कोषागार का नाम (यथाविधिक प्राप्तांकित) कोषागार चालान की संख्या और दिनांक संलग्न है।
- 6— अवधि जिसके लिये नवीकरण अपेक्षित है।
- 7— स्टोर करने के उपशुल्क / किराया प्रभार की अनुसूची में परिवर्तन, यदि कोई हो।
- 8— कोई अन्य सूचना जिसे आवेदक देना चाहे।
- 9— मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि यहां पर दी गयी सूचना/ब्योरा मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा विश्वास में सत्य है।
- 10— मैं/हम उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अध्यादेश, 1976, इसके अधीन बन गए नियमों के उपबन्धों का और उन निदेशों का अनुपालन का बचन देता हूँ/देते हैं जो लाइसेन्स अधिकारी द्वारा उक्त अध्यादेश और नियमों के अधीन समय—समय पर जारी किए जायें।

दिनांक—

आवेदक (आवेदकों) के हस्ताक्षर

अवधेय—

इस आवेदन—पत्र पर निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षर किया जायगा:—

- (1) स्वामी का स्वामियों में से एक के द्वारा जहां कोल्ड स्टोरेज को प्राइवेट व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा चलाने का प्रस्ताव हो,
या
- (2) महा प्रबन्धक या प्रबन्धक द्वारा कोल्ड स्टोरेज को निगम/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा चलाने का प्रस्ताव हो,
या
- (3) सचिव जहां द्वारा कोल्ड स्टोरेज को सहकारी समिति द्वारा चलाने का प्रस्ताव हो।

(नियम 14 देखिए)

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अध्यादेश, 1976 के अधीन लाइसेन्स की द्वितीय प्रति जारी करने के लिए आवेदन—पत्र सेवा में,

लाइसेन्स अधिकारी

महोदय,

मैं/हम जो श्री के पुत्र/पुत्री
 (पुत्रिया),/हैनिवासी डाकखाना थाना.....
 जिला कथन करता हूँ/करते हैं कि को समाप्त होने वाली अवधि के लिये धारा के अधीन मुझे/हमें दिया गया लाइसेन्स संख्या दिनांक निम्नलिखित परिस्थितियों के अपठनीय है।

(यहां उन परिस्थितियों को उल्लिखित करें जिनमें लाइसेन्स खो गया/नष्ट हो गया/क्षतिग्रस्त हो गया/फट गया/विरूपति हो गया/अपठनीय हो गया)

2— अतएव, मैं/हम आपसे निवेदन करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमे लाइसेन्स की एक द्वितीय प्रति उन्हें शर्तों और निबन्धनों पर जिन पर ऊपर स्वीकृत मूल लाइसेन्स दिया गया था, जारी करें।

3— मैं/हम—रूपये (—रूपये) की विहित फीस देने के सबूत में कोषागार चालान संलग्न करता हूँ/करते हैं।

4— मैं/हम सत्यनिष्ठ से घोषित करता हूँ/करते हैं कि यहां दिये गए विवरण या सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में सत्य है।

5— मैं/हम मूल लाइसेन्स को अभ्यर्पित करता हूँ/करते हैं (जब लाइसेन्स खो या नष्ट न हो जाय)।

साक्षी (1) _____

साक्षी (2) _____

(दो साक्षियों के नाम और पते और उनके पूरे हस्ताक्षर यहां किये जायें)।

भवदीय,

दिनांक—

आवेदक (आवेदकों) के हस्ताक्षर

अवधेय—

1— आवेदन—पत्र में, जहां शब्द आवश्यक न हों, निकाल दिये जायें।

2— इस आवेदन—पत्र पर निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षर किया जायगा:—

(1) स्वामी का स्वामियों में से एक के द्वारा जहां कोल्ड स्टोरेज को प्राइवेट व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा चलाने का प्रस्ताव हो,

या

(2) महा प्रबन्धक या प्रबन्धक द्वारा जहां कोल्ड स्टोरेज को निगम/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा चलाने का प्रस्ताव हो,

या

(3) सचिव द्वारा जहां कोल्ड स्टोरेज को सहकारी समिति द्वारा चलाने का प्रस्ताव हो।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अध्यादेश, 1976 के अधीन मुझे/हमें दिये गये लाइसेन्स संख्या----- दिनांक----- को जिसे मैंने/हमने खो दिया, आज लाइसेन्स अधिकारी द्वारा दी गयी द्वितीय प्रति के प्रतिफल में मैं/हम स्वयं, मेरे/हमारे उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रशासक उत्तर प्रदेश सरकार को किसी हानि या क्षति की, जो उसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मूल लाइसेन्स का प्रयोग करने के कारण के पूर्ति करने के लिये सहमत हूँ/हैं और मैं/हम अग्रेतर लाइसेन्स देने वाले अधिकारी को मूल लाइसेन्स यदि मुझे/हमें प्राप्त हो जाय वापस करने का बचन देना हूँ/बचत देते हैं।
और मैं/हम अग्रेतर इससे सहमत हूँ/हैं कि राज्य सरकार उपर्युक्त समस्त हानि या क्षति को मुझसे/हमसे भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने के लिये हमदार होगी।

वार-----दिनांक-----

1976 को में हस्ताक्षरित।

निष्पादक के हस्ताक्षर

निम्न की उपस्थिति में:-

1—

पता—

2—

पता—

टिप्पणी— यह क्षतिपूर्ति बन्धपत्र उचित मूल्य के न्यायकेतर मुद्रान्क पर निस्पादित किया जाना चाहिए—
पी.ए.यू.पी.—ए०पी० ३ साठ कृषि-7-5-84-(546) 1984-2000 (मैग0)